तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या– 22/2016 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

अनवान:

मंगल सिंह पुत्र जवारा जाति राजपुरोहित निवासी चक 3 बी.डी. (शिवनगर) तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

बनाम

1. तेजमाल सिंह पुत्र जवारा जाति राजपुरोहित निवासी चक 3 बी.डी. तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. गेमर सिंह पुत्र जवारा जाति राजपुरोहित निवासी चक 3 बी.डी. तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान।

23.10.2020

आज यह पत्रावली मंगल सिंह जरिये अभिभाषक श्री करणसिंह तंवर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान की अपील में दोनो पक्षकारों का आपस में समझौता हो जाने के कारण अपीलांट अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहता है एवं अपील को विड्रो करना चाहता है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील शिविर प्रभारी, कैम्प शिवनगर तहसील कोलायत जिला बीकानेर द्वारा दिनांक 06.12.2010 जिसके द्वारा अपीलांट की 3 बी.डी. के मु. नं. 190/44 के खाता विभाजन का आदेश दिया गया के विरूद्ध अपील अपीलांट स्वीकार करने बाबत इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विड्रा करना चाहते है। अतः यह अपील अपीलांट जरिये विड्रावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश की प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर